न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 46/2016

1– श्री राम पुत्र रामरतन आयु 70 साल

2– श्री महादेव पुत्र श्रीराम जी आयु 45 साल

जाति जाट निवासीयान गांव देवास तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार विजयनगर

2– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, विजयनगर

3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर राज0

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.2.2018

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा गांव अमरपुरा तहसील बिजयनगर में वर्णित खसरा नंबर 01 रकबा 01–3–00 किस्म बारानी–3 स्थित है। उक्त भूमि अरसे दराज से वादीगण व वादीगण के पूर्वज श्री रामरतन पुत्र कज्जा जी जाति जाट निवासी देवास का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि आराजी पर वादीगण का ही निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमि के चारो तरफ वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2, 4, 5, 41, 54, 65 व गांव देवास में आराजी खसरा नंबर 77, 79 चली आ रही है। वादीगण के गांव अमरपुरा व देवास की खातेदारी आराजी के मध्य वादग्रस्त आराजी आई हुई है जो कि मौके पर वादीगण व वादीगण के पूर्वज ने आज से 80 साल पूर्व ही अमरपुरा व देवास की भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1 को एक ही चक में कर रखा है। किन्तु वादीगण को खातेदार अधिकार प्रदत्त नही किये गये किन्तु इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने वादीगण के नाम धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस जारी कर बेदखल करना चाहा किन्तु आज तक वादीगण को उनके सुस्थापित कब्जे काश्त से बेदखल नही किया जा सका। वादीगण का कब्जो होने के कारण से वादीगण ने उक्त विवादित भूमि में मक्की कपास, ज्वार की फसल काश्त कर रहे है, इसी कारण राजस्व अभिलेख में यह भूमि काबिल काश्त अंकित है। तथा वादीगण ने समय समय पर अपने नाम खातेदारी अंकित करवाने हेतू निवेदन किया तथा दिनांक 11.05.2016 को दुरूस्ती कर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन भी किया। किन्तु समक्ष न्यायालय से आदेश लाने हेतू प्रतिवादीगण ने कहां। जबकि वादीगण आज भी विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान तथा राजस्थान सरकार द्वारा निकाले गये अध्यादेशो व सरक्यूलरो व नोटिफिकेशनो के तहत वादीगण का कब्जा गत 80 सालो से लम्बे अर्से से जो कब्जा चला आ रहा उनका कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने योग्य है। तथा वादीगण ने राजस्व शिवरो व अभियान में नियमन में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात भी कुछ ग्रामवासीयो की मिलीभगती के कारण वादीगण का प्रार्थना पत्र नियमन सलाहकार समिति में नही भिजवाया गया। वादीगण अपने पूर्वजो के जमाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व अजमेर राज0. में लागू अजमेर टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत उक्त ओक्यूपेशन में रहने के कारण तथा उनके कब्जे काश्त होने के कारण ओक्यूपेशन टीनेन्ट की तरह वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने के लिये उतारू हो गये इस नियत से गांव के कुछ असामाजिक तत्व भी वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के लिये उतारू हो रहे है, तथा इस संदर्भ में दिनांक 15.05.2015 को जबरदस्ती वादीगण के कब्जेशुदा भूमि पर अतिक्रण करने की गर्ज से एक विधि विरूद्ध समुह बनाकर लोगो बागो को लेकर आये तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने लगे तब वादीगण ने बडी मुश्किल से अन्य व्यक्तियो की मौजुदा व्यक्ति जो वहां मौजुद थे की मदद से रोका अन्यथा उसे अवेध रूप से बेदखल करने से रोकने के लिये वाद की आवश्यता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण को उनका पुराना कब्जा होने के कारण से वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे अथवा वादीगण का कब्जा होने के कारण से नियमन किया जाकर काश्तकारी अधिकर दिये जाकर उसे खातेदारी प्रदान की जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न नही करें तथा दौरान वाद वादीगण को बेदखल किया जाता है, तो पुनः कब्जा दिलवाया जावे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को नकराते हुये जवाब पेश कर कथन किया है, कि उक्त विवादित भूमि सिवायचक भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तथा 80 साल का कब्जा होने बाबत कोई रेकार्ड पेश नही किया गया है। वादीगण अतिक्रमण होने के कारण धारा 91 का प्रकरण दर्ज कर वाद निर्णय मौके से बेदखल किया जा चुका है।

प्रकरण में दावे व जवाबदावे के अनुसार अनुतोष सहित 5 तनकियात कायम की गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई साक्ष्य वादी में वादी ने कथन किया है, कि वाद में वर्णित तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्य को ही साक्ष्य मानी जावे। और दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसे साक्ष्य के रूप में पढा जावे।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई बहस अंतिम में वादीगण वकील ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रकरण में कायम की गई तनकियात निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 1:— आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर अर्से दराज से वादीगण अपने पूर्वजो के समय यानी 80 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त निरन्तर होने से खातेदार प्राप्त करने के अधिकारी है?

तनकी नंबर 2:— आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जे के आधार पर अपने कब्जे की भूमि का नियमन करवाकर अपने नाम करवाने के अधिकारी है?

उक्त दोनो तनकियां एकदूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है जिनको सिद्ध करने का भार वादीगण पर है, वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि वादीगण का कब्जा उसके पूर्वजो के समय से 80 सालो से चला आ रहा होने का कथन किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नंबर 01 कॉलम संख्या 4 में काबिल काश्त भमि दर्ज होना पाया गया। तथा जमाबंदी संवत 2060 से 2063 में अन्य खसरान श्री राम पुत्र रामरतन कौम जाट दर्ज होना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में अन्य खसरान श्री राम पुत्र

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

खसरान महादेव पुत्र श्रीराम दर्ज होना पाया गया। राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया जाना पाया गया। वर्ष 2009 में नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा धारा 91 का नोटिस वादी महादेव को जारी किया जाना पाया गया जिसमें विवादित भूमि पर मक्की की फसल काश्त होने का अंकन होना पाया गया। इसी प्रकार सन् 2008 में भी महादेव पुत्र श्रीराम का धारा 91 का नोटिस दिया जाना एंव विवादित भूमि पर ज्वार काश्त होना पाया गया। जुर्माना रसीद प्रस्तुत किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण उक्त तनकी नियमानुसार नियमन/आवंटन कमेटी के समक्ष रखे जाने की सीमा तक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नंबर 3:– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था किन्तु वादीगण ने विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा होना साबित पाया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावे में उन्हें बेदखल करने का कथन किया गया है, जबकि वादीगण ने ऐसे कोई स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत नही किये जिससे यह साबित होता है, कि वादीगण वर्तमान में काबिज काश्त है, ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है, और निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नही पाये जाते है।

तनकी नंबर 4:– आया प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र कारणो एंव वादग्रस्त भूमि सिवायचक खाते दर्ज राजकीय भूमि मिल्कियत सरकार होने से वाद पत्र खारीज करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में जो कथन किया है, कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज है किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि काबिल काश्त दर्ज होना पाया गया। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में कासिर रहे है।

तनकी नंबर 5:– अनुतोष?

उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने से आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा गांव अमरपुरा तहसील बिजयनगर में वर्णित खसरा नंबर 01 रकबा 01–3–00 किस्म बारानी–3 जो वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग में चली आ रही है, उसे आवंटन एवं नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की अभिशंषा की जाती है। आवंटन एवं नियमन कमेटी नियमानुसार आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/2/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 15:51:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: